भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3143
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में वर्चुअल न्यायालय

3143. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में स्थापित वर्चुअल न्यायालयों तथा उनके कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में वर्चुअल न्यायालय की स्थापना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वर्चुअल न्यायालय की स्थापना की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और स्थापना की अपेक्षित समय-सीमा क्या है ;

(घ) क्या सरकार की ट्रैफिक चालान निपटान से इतर भी वर्चुअल न्यायालयों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए उक्त पहल की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देते हुए वर्चुअल न्यायपीठों की स्थापना के लिए उच्च न्यायालयों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : वर्चुअल न्यायालय का उद्देश्य मुकदमेबाज या वकील की न्यायालय में भौतिक उपस्थिति को खत्म करना और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मामलों का न्यायनिर्णयन करना है। यह अवधारणा न्यायालय के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और मुकदमेबाजों को सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए छोटे-मोटे विवादों को निपटाने के लिए एक प्रभावी मार्ग प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। वर्चुअल न्यायालय को एक न्यायाधीश द्वारा वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रशासित किया जा सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य तक विस्तारित हो सकता है और 24x7 कार्य कर सकता है। प्रभावी न्यायनिर्णयन और समाधान के लिए न तो मुकदमेबाज और न ही न्यायाधीश को भौतिक रूप से न्यायालय में जाना होगा। संचार केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा और शाश्ति / जुर्माना या प्रतिकर का भुगतान भी ऑनलाइन पूरा किया जाएगा। इन न्यायालयों का उपयोग उन मामलों के निपटान के लिए किया जा सकता है जहाँ अभियुक्त द्वारा अपराध की सक्रिय स्वीकृति हो सकती है या प्रतिवादी द्वारा समन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्राप्त करने पर सक्रिय अनुपालन हो सकता है जैसा कि यातायात उल्लंघन के मामलों में होता है। ऐसे मामलों को साधारणतया जुर्माना आदि के भुगतान के बाद निपटाया हुआ माना जाता है।

31.10.2024 तक, 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 27 वर्चुअल न्यायालय अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात (2), तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड (2), मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और मणिपुर (2), ट्रैफिक चालान मामलों को संभालने के लिए चालू किए गए हैं। इन वर्चुअल न्यायालय द्वारा 6 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला गया है और 31.10.2024 तक 649.81 करोड़

रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में कोई वर्चुअल न्यायालय काम नहीं कर रहा है। वर्चुअल न्यायालय की स्थापना एक प्रशासनिक मामला है जो न्यायपालिका और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(घ) : ई-न्यायालय परियोजना के चरण III के अंतर्गत, ट्रैफिक चालान मामलों से परे वर्चुअल न्यायालय की स्थापना और उसके दायरे के विस्तार के लिए एक घटक है, इस प्रयोजन के लिए 413.08 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ङ) : वर्चुअल न्यायपीठ की स्थापना एक प्रशासनिक मामला है जो संबंधित राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में आता है। इस मामले में केंद्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

****